बिहार सरकार

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषयः— **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति—2011 के अंतर्गत मेसर्स लक्ष्मी विनायक भेन्चर्स प्रा० लि०, जेठुई, वैशाली को ₹ 1,31,69,519/— (एक करोड़ इकत्तीस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ उन्नीस रुपये) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति—2011 के अंतर्गत प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय समिति के द्वारा दिनांक 10.08.15 की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 1579 दिनांक 09.08.15 के आलोक में मे० लक्ष्मी विनायक बेंचर्स प्रा० लि०, जेठुई, वैशाली को इकाई के विस्तार के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी रु० 1,31,69,519/— की अनुदान की स्वीकृति उद्योग निदेशालय के पत्रांक 3360 दिनांक 21.08.15 द्वारा दी गई थी।

राशि की कमी के कारण शुद्धिपत्र 3511 दिनांक 01.09.15 द्वारा रु० 59,69,519/— निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अनुदान की शेष राशि रु० 72,00000/— की निकासी नही हुई थी।

इकाई वृहत्त प्रक्षेत्र की है। अतः उद्योग विभाग द्वारा निर्गत आदेश सं०—334 दिनांक—22.01.2016 के आलोक में शेष राशि रु० 72,00000/— की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त इकाई को अनुदान निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

(i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत इकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं प्रतिपूर्ति की गणना में त्रुटि पाए जाने पर तद्नुसार प्रतिपूर्ति की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(iii) राशि की उपलब्धता के पश्चात प्रतिपूर्ति के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

2. उक्त राशि के व्यय का वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या—334, दिनांक 22.01.2016 एवं आवंटनादेश संख्या—102/आ० दिनांक 27.01.2016 के आलोक में मांग—23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष—2852—उद्योग, उप शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—102—औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष—0160—प्री—प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड—P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड—IND—5432, विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी में आवंटित राशि से की जाएगी।

Ar. K.

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या [illegible] पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री लक्ष्मी विनायक भेन्चर्स प्रा0 लि0, जेठुई, वैशाली को बैंक ड्राफ्ट / RTGS के माध्यम से की जाएगी।

ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– .... पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ–साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– .... पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 302 पटना, दिनांकः– 11.02.16

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हाजीपुर, वैशाली/सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/योजना शाखा, प्रशाखा–01 (सरकार)/~~आई0टी0~~ प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सर्वश्री लक्ष्मी विनायक भेन्चर्स प्रा0 लि0, जेठुई, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.02.2016
निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

Ar. K.

3